ए.

AJWAR

वी.

नियाज अहमद और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1722)

बी.

30 सितंबर, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।161, 482, 173 – जमानत-जब नहीं दी गई-दस अभियुक्तों के खिलाफ धारा 147,148,149,302,307,352 और 504 आर/डब्ल्यू के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34-प्रथम प्रत्यर्थी का नाम एफ. आई. आर. में नहीं था, उसकी भूमिका कथित रूप से अनुसंधान के दौरान सामने आई थी-अनुसंधान पूरी होने के बाद, प्रथम प्रत्यर्थी सहित अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था-बयान के दौरान, अभि.सा. 1 ने प्रथम प्रत्यर्थी की भूमिका को स्वीकार किया है-प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर जमानत आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-प्रथम प्रत्यर्थी ने जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जमानत दे दी-अपील पर कहाःउच्च न्यायालय अपराध की गंभीरता और गंभीरता से संबंधित तथ्यों पर ध्यान देने में विफल रहा है-एक बार अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी की भूमिका सामने आने के बाद, आरोप पत्र दायर करने के बाद, जमानत देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था-इसके अलावा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में इस तथ्य पर जोर दिया कि जमानत दिए जाने पर पहला प्रत्यर्थी लगातार मुकदमे से अनुपस्थित रहा है-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-पहले प्रत्यर्थी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-जमानत मंजूर करते समय विचार किए जाने वाले बिंदु-न्यायालय इस पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैः(i) अपराध की गंभीरता और गंभीरता; (ii) अभियुक्त की भूमिका; (iii) जमानत दिए जाने पर गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना; (iv) जमानत दिए जाने पर अभियुक्त के मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं होने की संभावना; और (v) अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि।

जी.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-जमानत-अनुदान-एक विस्तृत या विस्तृत निर्णय लिखना है या नहीं-आयोजितः

एच.

356 ए.

357

अजवार बनाम एन. आई. ए. जे. अहमद और ए. एन. आर.

जमानत देने या न देने के बारे में निर्णय लेने के चरण में, न्यायालय से एक विस्तृत या विस्तृत निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है-हालाँकि, जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के समर्थन में कारण रिकॉर्ड से सामने आने चाहिए और मामले के तथ्यों पर न्यायाधीश द्वारा विवेकपूर्ण आवेदन दिखाना चाहिए।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** जिस तरह से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जमानत के लिए आवेदन का निपटारा किया है, वह असंतोषजनक है।यह निर्धारित करने में कि क्या किसी गंभीर आपराधिक अपराध से जुड़े मामले में जमानत दी जानी चाहिए, न्यायालय इस पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैः**((i)** अपराध की गंभीरता और गंभीरता; **(ii)** अभियुक्त की भूमिका; **(iii)** जमानत दिए जाने पर गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना; **(iv)** जमानत दिए जाने पर अभियुक्त के मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं होने की संभावना; और **(v)** अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि।लगातार आदेशों में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कथित रूप से कारणों से एक ही सजा वाली जमानत दी।केवल यह अभिलिखित करना कि न्यायालय ने आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक

सिद्धांत और अनुच्छेद **21** के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखा है**,** इस सरल कारण से संतोषजनक तरीका नहीं है कि मामले के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।इसके अलावा**,** ऊपर उल्लिखित सभी परिस्थितियों का वजन एक ही दिशा में नहीं होगा।मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के कर्तव्य को कानूनी सूत्रीकरण स्थापित करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **10** और **11] [361-**ई**-**एच**; 362-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. यह निर्णय लेने के चरण में कि जमानत दी जाए या नहीं**,** न्यायालय से एक विस्तृत या विस्तृत निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है।हालाँकि**,** जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के समर्थन में कारण रिकॉर्ड से सामने आने चाहिए और न्यायाधीश द्वारा मामले के तथ्यों पर उचित विचार व्यक्त करना चाहिए।एक अत्यधिक बोझ सूत्रबद्ध न्याय के लिए कोई औचित्य नहीं है।इसलिए यह न्यायालय इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत के आवेदनों पर विचार करने के तरीके को अस्वीकार करता है।**[**पैरा **13] [363-**डी**]**

जी.

एच.

ए.

3. उच्च न्यायालय अपराध की गंभीरता और गंभीरता से जुड़े तथ्यों पर ध्यान देने में विफल रहा है।इस घटना में बन्दूक की चोटों के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के दो बेटों की हत्या कर दी गई है।सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **161** के तहत दर्ज बयान में अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है। वास्तव में**,** अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी के घायल होने का आरोप लगाने वाला क्रॉस मामला प्रथम दृष्टया घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति का संकेत देगा।एक बार जब अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी की भूमिका सामने आ जाती है**,** उसके बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है**,** तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत देने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।पहले प्रत्यर्थी को लगभग दो साल और दो महीने की हिरासत से गुजरना पड़ा है।इसके अलावा**,** मेरठ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने **23** अगस्त **2022** के अपने आदेश में इस तथ्य पर जोर दिया कि जमानत दिए जाने पर पहला प्रत्यर्थी लगातार मुकदमे से अनुपस्थित रहा है और बार**-**बार स्थगन की मांग की है**,** जिसके परिणामस्वरूप गवाहों से जिरह पूरी

होनी बाकी है।नतीजतन**,** यह स्पष्ट है कि जमानत पर रिहा होने पर पहला प्रत्यर्थी **7** अप्रैल **2022** के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद मुकदमे के त्वरित निपटान में सहयोग करने में विफल रहा है।वह मुकदमे के समापन से बच रहा है। **[**पैरा **19] [365-**सी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

महिपाल बनाम राजेश कुमार (2020) 2 एससीसी 118:[2019]

14 एससीआर **529;** अमीनुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**,**

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई **2021** की आपराधिक अपील संख्या **317-**पर भरोसा किया गया।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

[2019] 14 एस**.** सी**.** आर**. 529** पर निर्भर

पैरा **12**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1722।

जी.

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के 04.08.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से।2022 की जमानत आवेदन संख्या 4555।

मो. अनस चौधरी, सुश्री स्नेहा चौधरी, सुश्री निशात परवीन, अंसार अहमद चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एच.

359

अजवार बनाम एन. आई. ए. जे. अहमद और ए. एन. आर.

ए.

शरण ठाकुर, ए. ए. जी., राजुल भार्गव, सीनियर एड., सिताब अली चौधरी, गुफरान अली, सुश्री रुबीना, सादिक, सुश्री प्रीति गुप्ता, सर्वेश सिंह बघेल, सिद्धार्थ ठाकुर, सुश्री आरुषि सिंह, सुश्री वन्या गुप्ता, एड.प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने 4 अगस्त 2022 के एक आदेश द्वारा, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 147,148,149,302,307,352 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन मुंडाली, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में दर्ज 2020 के मामला अपराध संख्या 126 के संबंध में पहले प्रत्यर्थी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

सी.

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट 19 मई 2020 को अपीलार्थी की शिकायत के आधार पर दस अभियुक्त व्यक्तियों, नामतः नाज़िम, अबुबकर, वसीम, असलम, गयूर, नदीम, हामिद, अकरम, कादिर और दानिश के खिलाफ दर्ज की गई थी।एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि उसी दिन शाम करीब 7:30 बजे, पक्षकारों के साथ पूर्व शत्रुता रखने वाले अभियुक्त ने अपीलार्थी और उसके बेटों पर भेदभावपूर्ण तरीके से गोली चलाई और इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के दो बेटों, अब्दुल खालिक और अब्दुल मजीद को गोली लगी। अब्दुल खालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अब्दुल मजीद की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।घटना के दौरान अपीलार्थी के भतीजे के गंभीर रूप से घायल होने का आरोप है।

डी.

ई.

4. मृतक अब्दुल खालिक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उसके सिर में एक हाथ की चोट लगी थी और मौत का कारण पूर्व-शव परीक्षण आग्नेयास्त्र की चोट के परिणामस्वरूप क्रेनियो-सेरेब्रल क्षति थी।अब्दुल माजिद की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उसके पेट में एक आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव और एक संबंधित निकास घाव था और मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण आग्नेयास्त्र की चोट के कारण सदमे और रक्तस्राव था।

एफ.

5. हालांकि प्राथमिकी में पहले प्रत्यर्थी का नाम नहीं था, लेकिन आरोप है कि अनुसंधान के दौरान उसकी भूमिका सामने आई थी।दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 161 के तहत अपीलार्थी के बयान में उनसे सवाल किया गया था कि पहले प्रत्यर्थी क्यों?

जी.

1 “आई. पी. सी. "2" सी. आर. पी. सी ".

एच.

360

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

ए.

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने निम्नानुसार जवाब दियाः

“मैंने सलीम (एफ. आई. आर. के लेखक) की शिकायत मौखिक रूप से लिखवाई है और उसे नियाज़ अहमद का नाम बताया है।नियाज़ अहमद भी इस घटना में शामिल था।

बी.

6. जाँच पूरी होने के बाद, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 147,148,149,352,302,307 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम प्रत्यर्थी सहित अभियुक्त के खिलाफ 23 जून 2020 को धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आठ अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से सात का नाम अनुसंधान में था, जबकि पहले प्रत्यर्थी का नाम बाद में जोड़ा गया था।अनुसंधान के बाद तीन अन्य आरोपी शामिल नहीं पाए गए और इसलिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया।

सी.

7. संज्ञान लिया गया है और मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया है जहां इसे 2020 के सत्र परीक्षण संख्या 574 के रूप में दर्ज किया गया है जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अदालत संख्या 15, मेरठ की अदालत में लंबित है।आरोप तय किए गए हैं।सूचना देने वाले अभि.सा. 1 का साक्ष्य दर्ज किया गया है।बयान के दौरान, अभि.सा. 1 ने पहले प्रत्यर्थी की भूमिका को स्वीकार किया है।प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर पहली जमानत याचिका को 29 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया गया था क्योंकि उस पर दबाव नहीं डाला गया था।प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर जमानत के लिए दूसरा आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा 16 दिसंबर 2021 को अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि गुटों के बीच पूर्व

शत्रुता है।अपीलार्थी ने मुकदमे के शीघ्र समापन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया।7 मई 2022 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय को मुकदमे को तेजी से, अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया।पहले प्रत्यर्थी ने जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया जिसके परिणामस्वरूप 4 अगस्त 2022 का विवादित आदेश आया है।

डी.

ई.

एफ.

8. जमानत देते समय, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

जी.

"दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ों की दलीलें सुनने के बाद, आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा का सुधारात्मक सिद्धांत।और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और ए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करना।

एच.

361

अजवार बनाम एन. आई. ए. जे. अहमद और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2018) 3 धारा 22, मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का मामला मानता हूं।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।"

बी.

9. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय को इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के उसी न्यायाधीश (जिसे इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं में चुनौती दी गई थी) के आदेशों पर बारी-बारी से विचार करने का अवसर मिला है, जिसमें जमानत देने के लिए ऊपर दर्ज किए गए समान कारण हैं।वास्तव में, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में, इस तथ्य पर भरोसा किया गया है कि एकल न्यायाधीश द्वारा इसी

तरह के आदेश पारित किए गए हैं, हालांकि इस दलील के साथ कि प्रथम प्रत्यर्थी को पर्याप्त कारण दर्ज करने में उच्च न्यायालय की विफलता के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।अपने जवाबी हलफनामे के दौरान पहला प्रत्यर्थी इस प्रकार कहता हैः

सी.

"……वास्तव में, वर्तमान मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं है, जिसमें जमानत देते समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तथाकथित कारण नहीं बताए गए हैं।ऐसे कई अन्य मामले भी हैं जिनमें समान या इसी तरह के आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे और शायद भविष्य में भी पारित किए जाएंगे।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को किसी ऐसी चीज के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और यह माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक विवेक है कि वह जमानत देते समय कारण बताए या कारण न बताए।

डी.

ई.

10. जिस तरह से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने जमानत के लिए आवेदन का निपटारा किया है, वह असंतोषजनक है।यह निर्धारित करने में कि क्या किसी गंभीर आपराधिक अपराध से जुड़े मामले में जमानत दी जानी चाहिए, न्यायालय इस पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैः

एफ.

((i) अपराध की गंभीरता और गंभीरता; (ii) अभियुक्त की भूमिका;

((ग) जमानत दिए जाने पर गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना;

जी.

((iv) यदि जमानत दी जाती है तो अभियुक्त के मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं होने की संभावना; और

(v) अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि।

एच.

11. लगातार आदेशों में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कथित कारणों से एक ही सजा वाली जमानत दी।केवल यह अभिलिखित करना कि न्यायालय ने आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखा है, इस सरल कारण से संतोषजनक तरीका नहीं है कि मामले के तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए।इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित सभी परिस्थितियों का वजन एक ही दिशा में नहीं होगा।मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के कर्तव्य को कानूनी सूत्रीकरण स्थापित करके समाप्त नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

12. महिपाल बनाम राजेश कुमार 3 में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने टिप्पणी की:“25. केवल "अभिलेख का अवलोकन करना" और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर" दर्ज करना एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के उद्देश्य को कम नहीं करता है।यह खुले न्याय का एक मौलिक आधार है, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, कि जिन कारकों ने न्यायाधीश के दिमाग में अस्वीकृति या जमानत देने में वजन डाला है, उन्हें पारित आदेश में दर्ज किया जाता है।खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए।न्यायधीशों का कर्तव्य है कि वे इस प्रतिबद्धता के केंद्र में तर्कपूर्ण निर्णय दें।जमानत देने के सवाल आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली के हितों से संबंधित हैं कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए।न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे इस बात की व्याख्या करें कि वे किस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

डी.

ई.

एफ.

27. जहां जमानत देने से इनकार करने या देने का आदेश निर्णय को सूचित करने वाले कारणों को प्रस्तुत नहीं करता है, वहां मन का उपयोग न करने का अनुमान है जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।”

अमीनुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4 में, दो-न्यायाधीशों की पीठ

जी.

इस न्यायालय ने जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को मंजूरी दे दी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उसी तर्क के साथ जमानत याचिका का निपटारा किया था

3 (2020) 2 एससीसी 118

4 2021 ए की आपराधिक अपील संख्या 317

एच.

363

अजवार बनाम एन. आई. ए. जे. अहमद और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

इस मामले में ऊपर निकाला गया।उच्च न्यायालय के तर्क पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

“8. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने केवल यह कहा है कि जमानत प्रस्तुतियों पर विचार करने और "अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश" को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एक संवैधानिक मूल्य है जिसका उच्च न्यायालय द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, जैसा कि वास्तव में सभी न्यायालयों द्वारा किया जाता है।समान रूप से, वर्तमान जैसे मामले में, जहां हत्या का एक गंभीर अपराध हुआ है, अभियुक्त की स्वतंत्रता को आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सार्वजनिक हित के साथ अनिवार्य रूप से संतुलित किया जाना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप है, उसे जिम्मेदार ठहराया जाए।”

बी.

सी.

13. जमानत देने या न देने के बारे में निर्णय लेने के चरण में, न्यायालय से एक विस्तृत या विस्तृत निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है।हालाँकि, जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के समर्थन में कारण रिकॉर्ड से सामने आने चाहिए और न्यायाधीश द्वारा मामले के तथ्यों पर उचित रूप से विचार करना चाहिए।एक अत्यधिक बोझ सूत्रबद्ध न्याय के लिए कोई औचित्य नहीं है।इसलिए, हम उस तरीके को अस्वीकार करते हैं जिसमें इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश जमानत के आवेदनों पर विचार कर रहे हैं।

डी.

ई.

14. उपरोक्त तथ्यों में, हम कार्यवाही को उच्च न्यायालय में वापस भेजने पर विचार करते। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है कि क्या जमानत देना उचित था या नहीं।

15. इस मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों में जमानत दी जानी चाहिए, प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से पेश अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद विस्तार से बताए जाने की आवश्यकता है।

एफ.

16. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है किः

(i) घटना के दौरान अपीलार्थी के दो बेटों की हत्या कर दी गई है।

जी.

((ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के दौरान पहले प्रत्यर्थी की भूमिका सामने आई है।

एच.

(iii) अपने बयान के दौरान, पीडब्लू1 के रूप में अपीलार्थी ने विशेष रूप से घटना के दौरान पहले प्रत्यर्थी की भूमिका को स्वीकार किया है;

((iv) अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से जब पहले प्रत्यर्थी की भूमिका को न केवल अपीलार्थी द्वारा बल्कि अन्य गवाहों द्वारा 2020 के मामले अपराध संख्या 361 में पहले प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा दायर जवाबी मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयानों के दौरान स्वीकार किया गया है; और

बी.

(v) यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे में तेजी लाई गई थी, 7 अप्रैल 2022 के अपने आदेश द्वारा, त्वरित मुकदमे से बचने के लिए प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा बार-बार स्थगन की मांग की गई है, जिसके लिए निचली अदालत द्वारा 23 अगस्त 2022 के आदेश में एक संदर्भ दिया गया है।पहला प्रत्यर्थी मुकदमे से बच रहा है।

सी.

डी.

17. अपीलार्थी की दलीलों का समर्थन करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना जमानत देने में गलती की है, अर्थात्:

((i) अपराध की प्रकृति और गंभीरता;

ई.

((ii) अभि.सा. 1 के बयान में और उससे पहले भी जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों में प्रथम प्रत्यर्थी की भूमिका; (iii) पांच देशी निर्मित पिस्तौल की बरामदगी;

एफ.

(iv) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जो इंगित करती है कि मृत्यु क्रमशः सिर और पेट में बंदूक की गोली से हुई चोटों के कारण हुई थी; और

(v) प्रथम प्रत्यर्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि।

18. प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि:(i) पहले प्रतिवादी की पत्नी के कहने पर एक क्रॉस केस दर्ज करने की मांग की गई थी;

जी.

(ii) अंततः, अन्य बातों के साथ-साथ, ए अपराधों के लिए 2020 के मामले अपराध संख्या 361 में 21 नवंबर 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

एच.

365

अजवार बनाम एन. आई. ए. जे. अहमद और ए. एन. आर.

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,452,323,307,504 और 506 के तहत दंडनीय;

((ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

(iv) पुलिस द्वारा दो मौकों पर एक समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।मजिस्ट्रेट ने 31 अगस्त 2021 के एक आदेश द्वारा समापन रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और आगे की जांच का निर्देश दिया; और

बी.

(v) घटना के दौरान पहले प्रत्यर्थी को बंदूक की गोली से चोट लगी और चोट की रिपोर्ट क्रॉस मामले का समर्थन करेगी जो उसकी पत्नी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर दर्ज की गई है।

सी.

19. उच्च न्यायालय अपराध की गंभीरता और गंभीरता से जुड़े तथ्यों पर ध्यान देने में विफल रहा है।इस घटना में बन्दूक की चोटों के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के दो बेटों की हत्या हो गई है।सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी का नाम स्पष्ट रूप से सामने आया है। वास्तव में, अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी के घायल होने का आरोप लगाने वाला क्रॉस मामला प्रथम दृष्टया घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति का संकेत देगा।एक बार जब अनुसंधान के दौरान पहले प्रत्यर्थी की भूमिका सामने आ जाती है, उसके बाद आरोप पत्र दायर किया जाता है, तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत देने का कोई मामला नहीं बनाया गया था।पहले प्रत्यर्थी को लगभग दो साल और दो महीने की हिरासत से गुजरना पड़ा है।इसके अलावा, मेरठ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 23 अगस्त 2022 के अपने आदेश में इस तथ्य पर जोर दिया कि जमानत दिए जाने पर पहला प्रत्यर्थी लगातार मुकदमे से अनुपस्थित रहा है और बार-बार स्थगन की मांग की है, जिसके परिणामस्वरूप गवाहों से जिरह पूरी होनी बाकी है।नतीजतन, यह स्पष्ट है कि जमानत पर रिहा होने पर पहला प्रत्यर्थी 7 अप्रैल 2022 के अपने आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद मुकदमे के त्वरित निपटान में सहयोग करने में विफल रहा है।वह मुकदमे के समापन से बच रहा है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

20. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 4 अगस्त 2022 के एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश को खारिज कर देते हैं जिसमें पहले प्रत्यर्थी को जमानत पर रखा गया था।

एच.

21. पहले प्रत्यर्थी को आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।22. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी मुकदमे के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगी।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.